कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री गाजियाबाद ग्लास एण्ड प्लाईवुड एसोसियेशन, 21, जगदीश नगर, हापुड़ रोड, गाजियाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**368 / 08**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-368 / 08, दिनांक 12.9.08 प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से उनके द्वारा निम्न वस्तुओं पर कर की दर जाननी चाही है :-

   1. Particle Board
   2. Hard Board
   3. Pin Board
   4. Soft Board
   5. Insulation Board
   6. M.D.F. Board (Medium Density Fiber Board)

2. व्यापारी द्वारा अपने लिखित प्रार्थना-पत्र में बताया गया कि उनके द्वारा उपरोक्त वस्तुओं का निर्माण एग्रीकल्चर वेस्ट का प्रयोग करके किया जाता है तथा इस प्रक्रिया का उद्देश्य एग्रीकल्चर वेस्ट के उपयोग के साथ-साथ पेड़ और टिम्बर का संरक्षण भी करना होता है। पुन: दिनांक 26.2.09 को फर्म के जनरल सेक्रेटरी द्वारा इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र दिया गया कि अब उनको उक्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं चाहिए तथा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र को वापस करन का निर्णय लिया गया।

3. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया। पाया गया कि व्यापारी द्वारा उपरोक्त अंकित जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में कर की दर जाननी चाही गयी है उपरोकत वस्तुएं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के I, II, III एवं IV के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं है। अत: अवर्गीकृत होने की दशा में उपरोक्त वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-V के अन्तर्गत 12.5% की दर से अवर्गीकृत वस्तुओं की भाँति करदेयता होगी।

4. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्नों का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

ह0 / 9.12.09

दिनांक 9, दिसम्बर, 2009

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि